

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

election09@gmail.com फोन न0 (0135) - 2713551 फैक्स न0 (0135) - 2713724

संख्या: 255/XXV- 53(P-14)/2021

देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2024

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /  
अनुभाग अधिकारी  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय  
उत्तराखण्ड देहरादून।

**विषय:-** सूचना के अधिकार के अन्तर्गत द्वितीय अपील 38824 के निस्तारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्रांक सं0 10414/उ.सू.आ./2023-24 दिनांक 11.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अपील सं0 38824 श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, में मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि पुनः Section 4, voter deletions antecedents, contribution Reports इत्यादि के संबंध में अपने अभिलेखों का परीक्षण कर अपीलार्थी को वांछित सूचनायें, जिस रूप में कार्यालय में धारित हो अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा0 आयोग द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में को संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  



(मस्तू दास)

विभागीय अपीलीय अधिकारी  
सहा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी

<sup>255</sup>  
पू0संख्या- /XXV- 53(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-1 सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर रिंग रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- Shri Samir Sardana, D-13, Sector 4, Defence Colony, Dehradun, Uttarakhand



(मस्तू दास)

विभागीय अपीलीय अधिकारी  
सहा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2662021, 2662180 ई-मेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वैब: <http://uic.uk.gov.in>

पत्रांक : 10414 /उ.सू.आ./2023-24

दिनांक : 11.01.24

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय / महोदया,

अपील संख्या- 38824 श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/01/2024 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,

( स्मृता परमार )

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि : श्री समीर सरदाना, निवासी डी-113, सेक्टर-04, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,

( स्मृता परमार )

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

**आवश्यक सूचना-**

"समस्त लोक प्राधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा।"

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून,  
उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 38824

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता: श्री समीर सरदाना, निवासी डी-113, सेक्टर-04,  
डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून।

बनाम

- प्रत्युत्तरदाता :
1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून।
  2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, देहरादून।

## आदेश

अपीलार्थी द्वारा अपने अदिनांकित अनुरोध पत्र के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, देहरादून से 11 विषय वस्तुओं से संबंधित बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयीं।

2. लोक सूचना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के माध्यम से अपीलार्थी के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2 (आंशिक) व 3 एवं 4 का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग लाडपुर, समस्त लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड व केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को किया गया।

an

3. लोक सूचना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के माध्यम से अपीलार्थी से अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी। साथ ही अपीलार्थी के ई-मेल दिनांक 13/04/2023 के क्रम में अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2023 (त्रुटिपूर्ण अंकन 2022) के माध्यम से अवगत कराया गया कि स्वतः स्फूर्त प्रकटन हेतु सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय की वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> एवं [eci.gov.in](https://eci.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।
4. प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलार्थी का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। उनके द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की आयोग से प्रार्थना की गयी है।
5. आज सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी श्री बसंत सिंह रावत उपस्थित हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की ओर से लिखित आख्या दिनांकित 02 जनवरी, 2024 प्राप्त हुई जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया। विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की ओर से लिखित आख्या दिनांकित 02 जनवरी, 2024 प्राप्त हुई जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया। अपीलार्थी की ओर से ई-मेल दिनांकित 05 जनवरी, 2024 प्राप्त हुआ जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया।
6. उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
7. आज सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा Section 4, Voter Deletions, Antecedents, Contribution Reports इत्यादि के संबंध में सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की आयोग से प्रार्थना की गयी।
8. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन व उभय पक्षों को सुनने से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समयांतर्गत सूचनायें प्रेषित की गयी हैं तथा विभागीय अपीलीय



ar

अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17 जून, 2023 के माध्यम से अपीलार्थी को स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया गया है। अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचनायें जिस रूप में लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में धारित होती हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में अनुरोधकर्ता / अपीलार्थी / शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है। तथापि विभागीय अपीलीय अधिकारी व लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः **Section 4, Voter Deletions, Antecedents, Contribution Reports** इत्यादि के संबंध में अपने अभिलेखों का परीक्षण कर अपीलार्थी को वांछित सूचनायें, जिस रूप में उनके कार्यालय में धारित हों, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी की सहमति से प्रस्तुत द्वितीय अपील का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली संचित की जाये.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

*Anil Chandra*

( अनिल चन्द्र पुनेठा )

मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 08/01/2024

